पत्रांक 1 15/व5-03/09

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि0प्र0से0

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक 2018

विषयः राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना को कॉरपस फण्ड के गठन हेतु रू0 31,10,00,000/- (एकतीस करोड़ दस लाख) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना को कॉरपस फण्ड के गठन हेतु रू0 31,10,00,000/- (एकतीस करोड़ दस लाख) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने प्रदान की गई है।

2. चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना के दिनांक 22.09.2010 को आहूत कार्यकारिणी समिति की बैठक में संस्थान के लिए रू0 50,00,00,000/- (पचास करोड़) मात्र कॉरपस फण्ड के गठन का निर्णय लिया गया। बैठक की कार्यवाही को राज्य सरकार के पत्रांक 3185 दिनांक 19.10.2010 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। दिनांक 06.04.2017 को संस्थान के शासी निकाय के बैठक में कॉरपस फण्ड के रूप में गठित करने हेतु उक्त रू0 50,00,00,000/- (पचास करोड़) मात्र की राशि में से अवशेष राशि के रूप में रू0 31,10,00,000/- (एकतीस करोड़ दस लाख) मात्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। उक्त आलोक में रू0 31,10,00,000/- (एकतीस करोड़ दस लाख) मात्र कॉरपस फण्ड के गठन हेतु स्वीकृत किया जा रहा है।

3\. स्वीकृत की जा रही राशि के व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष – 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लधुशीर्ष 102– विश्वविद्यालयों को सहायता, मांग संख्या 21, उप शीर्ष –0118 – राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान, विपत्र कोड 21–2202031020118, विषयशीर्ष 0118. 31. 06– सहायक अनुदान गैर वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में होगा। इस संस्थान के वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल रू0 60,00,00,000/– (साठ करोड़) मात्र का बजटीय उपबंध है।

4\. स्वीकृत की जा रही राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जाएगां। स्वीकृत राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत की गई राशि को संस्थान द्वारा कॉरपस फण्ड के गठन हेतु संधारित खाते में जमा किया जाएगा। राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जा सकेगा ।

5\. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/पी 5–03/2009 में पृष्ठ 521–520/प0 दिनांक 28.02.2018 को लोक वित्त समिति की बैठक में दी गई स्वीकृति तथा पृष्ठ 182/टि0 पर दिनांक 20.03.2018 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6\. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/पी 5--03/09 में दिनांक 21.03.18 को पृष्ठ 184/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

7\. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

8\. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

9\. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

10. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–03/2009 पटना, दिनाक /2018

प्रतिलिपि –विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंड़ल सचिवालय विभाग/निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना/अपर सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी– 05 एवं 15 एवं रोकड़पाल, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–03/2009 152 पटना, दिनाक 23/3 /2018

प्रतिलिपि –प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव